कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)

पंचदीप भवन, सी॰ आई॰ जी॰ मार्ग, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02
Email : jd-rectt@esic.nic.in Tel. : 011 – 23219513
Website : www.esic.nic.in

क.रा.बी.निगम में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड II/ अधीक्षक के पद की भर्ती

क.रा.बी.निगम में सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड II/ अधीक्षक के पद भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन (क.रा.बी.निगम की वेबसाइट www.esic.nic.in के माध्यम से) आमंत्रित किए जाते हैं:-

क. रिक्तियों का विवरण

श्रेणी	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल	दिव्यांग श्रेणी*				भूतपूर्व सैनिक
							श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी तथा ई	
रिक्तियों की संख्या	43	09	08	24	09	93	Nil	01	02#	01#	09

बैकलॉग रिक्तियाँ

*दिव्यांग श्रेणी का विवरण

श्रेणी ए – नेत्रहीन तथा कम दृष्टि

श्रेणी बी - बधिर तथा ऊंचा सुनना

श्रेणी सी - सेरेब्रल पाल्सी सहित चलन अक्षमता, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास

श्रेणी डी - ऑटिस्म, बौद्धिक विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी तथा मानसिक बीमारी

श्रेणी ई - बधिर-नेत्रहीन सहित खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत व्यक्तियों में एकाधिक दिव्यांगता

नोट 1: दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनारक्षित की संबंधित श्रेणियों की रिक्तियों के बदले समायोजित किया जाएगा ।

नोट 2: वे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में सरकार के अंतर्गत असैनिक पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आरक्षण के पात्र नहीं हैं। हालांकि, वे केवल आयु में छूट के पात्र हैं ।

नोट 3: उपर्युक्त अधिसूचित रिक्तियाँ परिवर्तन के अध्यधीन हैं ।

ख. <u>वेतनमान</u>

सातवें कैंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेवल-7 का वेतन मैट्रिक्स (रू.44,900-1,42,400) वेतन के अतिरिक्त वे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता और समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अन्य भत्तों के भी पात्र होंगे ।

ग. <u>अनिवार्य अर्हताएं</u>

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा उसके समकक्ष। (वाणिज्य/विधि/प्रबंधन के स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी)
2. ऑफिस सूट्स तथा डाटाबेस के प्रयोग सहित कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।

अनुभव(वांछनीय): किसी सरकारी संगठन या निगम या सरकारी उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अनुसूचित बैंक आदि में तीन वर्ष की सेवा आदि |

3. <u>राष्ट्रीयता/नागरिकता</u>

अभ्यर्थी अनिवार्यत: या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो।

किंतु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबद्ध अभ्यर्थी के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी परंतु नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4. <u>अंतिम तिथि (अर्थात निर्णायक तिथि) को आयु सीमा</u>

(क) अंतिम तिथि अर्थात् **12.04.2022** को 21 से 27 वर्ष के बीच ।

(ख) आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित व्यक्तियों के लिए तथा क.रा.बी.निगम के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा निम्नानुसार शिथिलनीय है : -

क्र.सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के आगे आयु में अनुमेय छूट
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
3	दिव्यांगजन	(i) अनारक्षित -10 वर्ष (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग -13 वर्ष (iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति -15 वर्ष

		कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार दिव्यांगजन आवेदक 56 वर्ष की अधिकतम आयु के अध्यधीन विभिन्न संयोजनों में आयु छूट के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन क.रा.बी.निगम/सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसे छूट या तो 'दिव्यांगजन' के रूप में या 'क.रा.बी.निगम/सरकारी कर्मचारी के रूप में स्वीकार्य होगी जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो।
4	भूतपूर्व सैनिक	(i) अनारक्षित-3 वर्ष (*) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग- 6 वर्ष (*) (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति- 8 वर्ष (*) (*)वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि को घटाने के पश्चात् ।
5	क.रा.बी.निगम कर्मचारी/ सरकारी कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित तथा सतत सेवा दी हो।	(i) अनारक्षित - 40 वर्ष तक (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग -43 वर्ष तक (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति -45 वर्ष <u>नोट</u>– चयन की स्थिति में अभ्यर्थी, नियुक्ति के समय तक क.रा.बी.निगम/सरकारी कर्मचारी होना चाहिए।
6	व्यक्तियों की अन्य श्रेणियाँ	समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार।

नोटः आयु, अनिवार्य अर्हता आदि से संबंधित पात्रता निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि <u>निर्णायक तिथि</u> होगी ।

5. <u>आवेदन कैसे करें :-</u>

<u>अभ्यर्थी दिनांक **12.04.2022** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य विधि से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>

<u>ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा ध्यान दिए जाने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु</u>

I. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी निम्नलिखित को स्कैन कर लें :

- अपना फोटोग्राफ (4.5 से.मी. x3.5 से.मी.)
- अपने हस्ताक्षर (काली स्याही से)
- अपने बाएं अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से)
- अपनी हस्तलिखित घोषणा (सफेद कागज पर काली स्याही से) (घोषणा का पाठ नीचे दिया गया है) जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कैन किए गए ये सभी दस्तावेज इस विज्ञापन में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

II. बड़े (कैपिटल) अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

III. बाएं अंगूठे का निशान ठीक प्रकार से स्कैन होना चाहिए, धुंधला नहीं (यदि किसी अभ्यर्थी का बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दायें अंगूठे का उपयोग कर सकता/सकती है।)

IV. हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है :-

"I, _______ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

V. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी के हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि घोषणा किसी और व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य भाषा में लिखी और अपलोड की जाती है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में जो घोषणा लिख नहीं सकते, वे घोषणा के पाठ को टंकित करवाएं और टंकित घोषणा के नीचे अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें)

VI. अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभारों (**Intimation charges**) के ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

VII. इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। क.रा.बी.निगम पंजीकृत ईमेलआईडी के माध्यम से परीक्षा आदि के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने की सूचना भेजेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ईमेलआईडी और मोबाइल नंबर तैयार रखना होगा और उस ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को सक्रिय रखना होगा।

निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाएँ

I. आवेदन पंजीकरण
II. शुल्क का भुगतान
III. दस्तावेज स्कैन करना और अपलोड करना

I. आवेदन पंजीकरण

1. अभ्यर्थी क.रा.बी.निगम की वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाएं और "क.रा.बी.निगम में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ)" के पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन" विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।
2. आवेदन पंजीकरण के लिए, ''रजिस्ट्रेशन के लिए यहां क्लिक करें'' टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी प्रविष्ट करें। सिस्टम एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड जनरेट करेगा जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड नोट कर लें। अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड ईमेल और एसएमएस से भी भेजे जाएंगे।
3. यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ हो तो वह "सेव एण्ड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से प्रविष्ट डाटा को सेव कर सकता/सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैकि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों को सत्यापित करने के लिए "सेव एण्ड नेक्स्ट" सुविधा का इस्तेमाल करें और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को यह आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना चाहिए तथा पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि भरे गए विवरण सही हैं, विवरणों का सत्यापन करना/करवाना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में विवरण ध्यानपूर्वक भरें और भरे गए विवरणों को स्वयं सत्यापित करें। "कम्पलीट रजिस्ट्रेशन बटन" पर क्लिक करने के पश्चात् कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा / परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी अथवा उसके पिता/पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा प्रमाणपत्र /अंक तालिकाओं/ पहचान के सबूत में दर्शाया गया है। कोई परिवर्तन/बदलाव होने पर अभ्यर्थी अपात्र हो सकता है।
6. अपने विवरण अभिप्रमाणित करें और "वैलिडेट योर डिटेल्स" एवं 'सेव एण्ड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करते हुए अपना आवेदन सेव करें।

7. अभ्यर्थी, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन एवं अपलोड करने के दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भर सकते हैं।
9. पूरी तरह से पंजीकरण करने से पहले पूरे आवेदन पत्र का प्रीव्यू एवं सत्यापन करने के लिए **<u>"प्रीव्यू टैब"</u>** पर क्लिक करें।
10. यदि आवश्यक हो तो विवरणों में संशोधन करें। अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर और भरे गए अन्य विवरण सही हैं, इसका सत्यापन सुनिश्चित करने के बाद ही <u>''कम्पलीट रजिस्ट्रेशन''</u> पर क्लिक करें।
11. <u>''पेमेंट''</u> टैब पर क्लिक करें और भुगतान करें।
12. <u>''सबमिट''</u> बटन पर क्लिक करें।

II. शुल्क का भुगतान

I. <u>आवेदन शुल्क की राशि :-</u>

क्र.सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	शुल्क राशि
01	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन/विभागीय अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी एवं भूतपूर्व सैनिक *चरण-I की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी के उपस्थित होने पर रुपये 250/- का यह शुल्क बैंक प्रभारों, जैसा लागू हो, की विधिवत् कटौती करने के बाद लौटाया जाएगा।	रु. 250/-*
02	अन्य सभी श्रेणियां	रु. 500/-

नोट : बैंक संव्यवहार प्रभार (ट्रांजैक्शन चार्जेज) अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे।

<u>**II** भुगतान का तरीका (ऑनलाइन रीति) :-</u>

क. आवेदन पत्र को पेमेंट गेटवे से एकीकृत किया गया है। भुगतान प्रक्रिया को अनुदेशों का पालन करते हुए पूर्ण किया जा सकता है।

ख. भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिग, आईएम पीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है ।

ग ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुगतान संबंधी सूचना भरने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा करें। दोहरे भुगतान से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ ।

घ. संव्यवहार की सफल समाप्ति पर, ई-रसीद तैयार होगी ।

ड. ई-रसीद तैयार न होने का अर्थ है कि भुगतान विफल रहा । भुगतान विफल होने पर, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण नबंर और पासवर्ड के जरिए दोबारा लॉगइन करें और भुगतान की प्रक्रिया दोहराएं ।

च. अभ्यर्थियों को ई-रसीद और शुल्क के ब्योरे सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा । <u>कृपया ध्यान दें कि रसीद जारी न होने का अर्थ यह है कि ऑनलाइन संव्यवहार सफल नहीं हुआ होगा</u> ।

छ. क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ताओं के लिए: सभी प्रभार भारतीय रुपये में होंगे। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनियम दरों पर स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन करेगा।

ज. अपने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संव्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद ब्राउजर विंडो बंद कर दें ।

झ. शुल्क का भुगतान करने के बाद शुल्क के ब्योरे सहित आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की सुविधा है ।

ञ. महिला अभ्यर्थियों, विभागीय अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को रिफ़ंड लेने के लिए लाभार्थी खाते का विवरण जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड इत्यादि उपलब्ध करवाना होगा।

III. दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोडिंग

दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की (डिजिटल) ईमेज को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार स्कैन करना होगा ।

<u>फोटोग्राफ इमेज</u>

- फोटोग्राफ हाल ही में खिंचवाया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो होना चाहिए ।
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर रंगीन हो और अधिमानत: हल्के रंग में सफेद पृष्ठभूमि में ली गई हो ।
- तनाव रहित मुख से सीधे कैमरे की ओर देखें ।
- यदि तस्वीर, सूर्य की रोशनी में ली गई हो तो सूर्य आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हों ताकि तस्वीर में आपकी आँख में भेंगापन दिखाई न दे या तस्वीर पर गहरी परछाई न पड़े।
- यदि आप फ्लैश का इस्तेमाल करें तो सुनिश्चित कर लें कि फोटो में "आंखे लाल" न आएं।
- यदि आप चश्मा लगाते हैं तो सुनिश्चित करें कि परछाई न पड़े और आपकी आंखे स्पष्टत: दिखाई दें ।
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक शिरोवस्त्र की अनुमति है लेकिन इससे आपका चेहरा ढका नहीं होना चाहिए ।
- माप 200x 230 पिक्सल (अधिमानत:)
- फाइल का साइज 20 केबीसे 50 केबी के बीच होना चाहिए ।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई ईमेज का साइज 50 केबी से अधिक न हो। यदि फाइल का साइज 50 केबी से अधिक हो तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सैटिंग अर्थात् डीपीआई रेज्यूलूशन (स्पष्टता), रंगों की संख्या को व्यवस्थित (एडजस्ट) करें ।
- यदि फोटो को नियत स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता तो परीक्षा में प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा/मना कर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा/ होगी।

- अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो, फोटो के नियत स्थान पर और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नियत स्थान पर अपलोड किए जाएं। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए गए हों तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किया गया फोटो अपेक्षित आकार (साइज) का हो और उसमे उसका चेहरा स्पष्टतः दिखाई दे रहा हो।

हस्ताक्षर :

- आवेदक को सफेद कागज़ पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने होंगे ।
- हस्ताक्षर आवेदक के स्वयं के हों किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न किए जाएं ।
- ये हस्ताक्षर बुलावा पत्र में और जहां जरूरी हों वहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे ।
- यदि उपस्थिति पत्रक या बुलावा पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर, परीक्षा के समय लिए गए हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाएंगे तो आवेदक को अयोग्य कर दिया जाएगा ।
- हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा बड़े अक्षरों में स्वीकार्य नहीं होगी ।

  o फाइल प्रकार: जेपीजी/जेपीईजी
  o माप: 200 डीपीआई में 140 x 60 पिक्सल (अधिमानतः अपेक्षित गुणवत्ता में हो)
  o फाइल साइज: 10 केबी से 20 केबी

बायें अंगूठे का निशान:

- आवेदक को अपने बायें अंगूठे का निशान काली या नीली स्याही से सफेद कागज़ पर लगाना होगा।
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए किसी अन्य व्यक्ति की नहीं ।

  o फाइल प्रकार: जेपीजी/जेपीईजी
  o माप: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (अधिमानतः अपेक्षित गुणवत्ता में हो) अर्थात् 3 से.मी. * 3से.मी. (चौड़ाई*ऊँचाई)
  o फाइल साइज: 20 केबी से 50 केबी

हस्तलिखित घोषणा:

- हस्तलिखित घोषणा की विषय-वस्तु अपेक्षा अनुसार होनी चाहिए ।
- हस्तलिखित घोषणा बडे अक्षरों में नहीं लिखी होनी चाहिए।
- आवेदक को उक्त घोषणा काली या नीली स्याही से सफेद कागज़ पर अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से लिखनी होगी ।
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की स्वयं की होगी कि किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।
- हस्तलिखित घोषणा

- o फाइल प्रकार: जेपीजी/जेपीईजी
- o माप: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (अधिमानतः अपेक्षित गुणवत्ता के हों) अर्थात् 10 से.मी. * 5से.मी. (चौड़ाई*ऊँचाई)
- o फाइल साइज: 50 केबी से 100 केबी

दस्तावेजों की स्कैनिंग:

- स्कैनर के रेज्योलूशन (स्पष्टता) को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट प्रति इंच) पर तय करें।
- रंगों (कलर) को ट्रू कलर में नियत रखें
- फाइल का साइज उपर्युक्त विनिर्देशों के अनुसार हो।
- फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा इमेज के किनारों को स्कैनर से क्रॉप करें। उसके बाद इमेज को अपेक्षित साइज़ (उपर्युक्त विनिर्देशों के अनुसार) में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का इस्तेमाल करें।
- इमेज, जैसे जेपीजी या जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए फाइल का नाम : **image01.jpg** अथवा **image01.jpeg** इमेज की माप की जांच फोल्डर फाइलों की लिस्टिंग या फाइल इमेज आइकन के ऊपर माउस ले जाकर की जा सकती है ।
- एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी, एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए 50 केबी (फोटोग्राफ और हस्तलिखित घोषणा) और 20 केबी (हस्ताक्षर एवं बायें अंगूठे का निशान) से अनधिक के **.jpeg** फॉर्मेट में दस्तावेज़ आसानी से सहेज सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेजों को फाइल मैन्यू में 'सेव एज' ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है और 'इमेज' मैन्यू में क्रॉप और रीसाइज ऑप्शन (कृपया पिक्सल साइज के लिए उपर्युक्त बिंदु **(i)** और **(ii)** देखें) का इस्तेमाल करते हुए साइज को 50 केबी (फोटोग्राफ और हस्तलिखित घोषणा) व 20 केबी (हस्ताक्षर और बायें अंगूठे का निशान) तक कम किया जा सकता है । इसी तरह के ऑप्शन अन्य फोटो एडीटर में भी उपलब्ध हैं ।
- फाइल साइज और फॉर्मेट नियमानुसार न होने पर त्रुटि संदेश दिखाई देगा ।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा ।

दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें अगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक होंगे ।
- "अपलोड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा" के संबंधित लिंक पर क्लिक करें ।
- उस लोकेशन को ब्राउज और सिलेक्ट करें जहाँ स्कैन किए गए फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा संबंधी फाइल को सेव किया गया है ।
- फाइल पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट करें ।
- 'ओपन/अपलोड' बटन को क्लिक करें ।

जब तक आप विनिर्देशों के अनुसार फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा ।

नोट :

(1) फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बायें अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/ धुंधली होने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को जांच लेना चाहिए कि सभी इमेज स्पष्ट और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बायें अंगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा स्पष्टतः दिखाई न देने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को एडिट कर सकता है/सकती है और फार्म सबमिट करने से पहले अपने फोटोग्राफ या हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकता है/सकती है।

(3) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट ले लें।

6. परीक्षा केंद्र

ऑनलाइन आवेदन करते समय, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में उस केंद्र का चयन करना होगा जिस पर वह परीक्षा देने का/की इच्छुक है।

1. परीक्षा, संबंधित बुलावा पत्रों में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी ।
2. केंद्र/स्थल/तिथि/परीक्षा सत्र के बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. हालांकि क.रा.बी.निगम को अपने विवेकानुसार, आवेदन पत्रों की संख्या, प्रशासनिक संभाव्यता इत्यादि के आधार पर किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/अथवा कुछ अन्य केद्रों को जोड़ने का अधिकार होगा।
4. क.रा.बी.निगम को अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्प से अलग कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का भी अधिकार होगा।
5. अभ्यर्थी को अपने जोखिमों और खर्चों पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना होगा। क.रा.बी. निगम किसी भी प्रकृति की किसी चोट या हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
6. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों सहित किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
7. अभ्यर्थी द्वारा एक बार किया गया केंद्र का चुनाव अंतिम होगा ।
8. यदि अभ्यर्थियों द्वारा किसी केंद्र को "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में विकल्प के रूप में नहीं चुना जाता है तो क.रा.बी. निगम को उन अभ्यर्थियों को अन्य कोई नजदीकी केंद्र आबंटित करने या किसी केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों के आने पर अभ्यर्थियों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार होगा।

7. परीक्षा की योजना

(I) सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा की योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है:

चरण I - प्रारंभिक परीक्षा

क्रमांक	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ परीक्षा)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	संस्करण
1	अँग्रेजी बोध	30	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्कशक्ति	35	35	20 मिनट	हिंदी और अंग्रेजी
3	मात्रात्मक अभिक्षमता	35	35	20 मिनट	हिंदी और अंग्रेजी
	कुल	100	100		

नोट:

1. चरण-I प्रारंभिक परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की है और अंतिम योग्यता के लिए अंकों की गणना नहीं की जाएगी।
2. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए दिए गए अंक के एक चौथाई का नकारात्मक अंकन होगा।
3. अभ्यर्थियों को चरण- II के लिए **1:10** के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अर्थात चरण- I प्रारंभिक *परीक्षा* में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या का लगभग 10 गुना।
4. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के अंकों को मानक अभ्यास के बाद समान किया जाएगा।

चरण II - मुख्य परीक्षा

क्रमांक	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ परीक्षा)	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	संस्करण
1	तर्कशक्ति/बुद्धिमता	40	60	35 मिनट	हिंदी और अंग्रेजी
2	सामान्य/आर्थिक/वित्तीय/बीमा जागरूकता	40	40	20 मिनट	हिंदी और अंग्रेजी
3	अंग्रेजी बोध	30	40	30 मिनट	अंग्रेज़ी
4	मात्रात्मक अभिक्षमता	40	60	35 मिनट	हिंदी और अंग्रेजी
	कुल	150	200	2 घंटे	

नोट:

1. चरण- II में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए माना जाएगा।
2. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए दिए गए अंक के एक चौथाई का नकारात्मक अंकन होगा।
3. अभ्यर्थियों को चरण- III के लिए **1:5** के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अर्थात चरण- II मुख्य परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या का लगभग 5 गुना।

चरण **III** - कंप्यूटर कौशल परीक्षा (सीएसटी) तथा विवरणात्मक परीक्षा

(क) कम्प्यूटर कौशल परीक्षा (सीएसटी) – 50 अंक (अवधि 30 मिनट), में निम्नलिखित तीन भाग शामिल हैं :-

i.	02 पावर पॉइंट स्लाइड तैयार करना	10 अंक
ii.	फार्मेटिंग के साथ एमएस वर्ड पर मैटर टाइपिंग	20 अंक
iii.	फार्मूलों के उपयोग के साथ एमएस एक्सेल पर टेबल बनाना	20 अंक

(ख) विवरणात्मक परीक्षा- अँग्रेजी बोध (पत्र लेखन तथा निबंध)

प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	भाषा
2	50	30 मिनट	अँग्रेजी

नोट: 1. दिव्यांगजनअभ्यर्थियों के संबंध में कंप्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान, जो टंकण करने में असमर्थ हैं, का मूल्यांकन 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार कंप्यूटर परीक्षा में किया जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न बिना किसी नकारात्मक अंक के होंगे।

2. कंप्यूटर कौशल परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। प्राप्त अंकों को मेरिट रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाएगा।

अर्हकारी अंक :- चरण- I (प्रारंभिक परीक्षा I), चरण- II (मुख्य परीक्षा) में अर्हकारी अंक अनारक्षित श्रेणी के लिए 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए 35% और दिव्यांगजन श्रेणी के लिए 30% होंगे। दिव्यांगजन के लिए चरण- III कंप्यूटर कौशल परीक्षा/वस्तुनिष्ठ प्रकार कंप्यूटर परीक्षा में अर्हकारी अंक तथा विवरणात्मक परीक्षा क.रा.बी.निगम के विवेक पर तय किए जाएंगे।

8. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क) अभ्यर्थियों को वेबसाइट **www.esic.nic.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाएं।

(ख) ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर अपने पास ही रखना होगा।

(ग) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा यादस्ती रूप से क.रा.बी.निगम में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बाद के चरण में अपनी पात्रता आदि के समर्थन में दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट जमा करना होगा।

(घ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करें। हालांकि, अगर किसी भी तरह, वह कई ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन संख्या" वाला ऑनलाइन आवेदन शुल्क सहित हर तरह से पूर्ण हो। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन जमा करते हैं, वे इसे संज्ञान में लें कि उच्चतर "आवेदन संख्या" वाले केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पर क.रा.बी.निगम द्वारा विचार किया जाएगा। एक "आवेदन संख्या" के लिए भुगतान किए गए शुल्क को किसी अन्य "आवेदनसंख्या" के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(ङ) एक बार जमा किए गए आवेदन को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सही विवरण देने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

(च) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें क्योंकि परीक्षा से संबंधित सभी पत्राचार की सूचना ऑनलाइन आवेदन भरने के समय दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।

(छ) अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि डिस्कनेक्ट होने/अक्षमता/लॉग इन करने में विफलता आदि की आशंका से बचा जा सके।

(ज) बुलावा पत्र डाउनलोड करना –अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने हेतु क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। बुलावा पत्र डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। एक बार जब अभ्यर्थी संबंधित लिंक पर क्लिक कर देता/देतीहै, तो वह बुलावा पत्र डाउनलोड के लिए विंडो तक पहुंच सकता/सकतीहै। अभ्यर्थी को बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/ अनुक्रमांक, (ii) पासवर्ड/जन्मतिथि का उपयोग करना होता है। अभ्यर्थी को बुलावा पत्र पर हाल ही में पहचानने योग्य फोटोग्राफ अधिमानतः पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई, को चिपकाना होगा और परीक्षा केंद्र में (i) बुलावा पत्र (ii) नीचे खंड (ठ) में निर्धारित फोटो पहचान प्रमाण और जो बुलावा पत्र में भी निर्दिष्ट है तथा उसी फोटो पहचान प्रमाण की छायाप्रति जो मूल रूप में लाई गई है, के साथ उपस्थित हों।

(झ) परीक्षा के लिए बुलावा पत्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय के बाद देर से रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलावा पत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ समय से पहले है। हालांकि परीक्षा की अवधि 1-2 घंटे है, लेकिन अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं, जैसे विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रहण, लॉग इन, अनुदेश देना को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग 4 घंटे के लिए परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है।

(ञ) पहचान सत्यापन - चरण- I, II और III की परीक्षाओं में अभ्यर्थी को सत्यापन के लिए, बुलावा पत्र के साथ अपनी वर्तमान वैध फोटो पहचान की मूल और छायाप्रति (बुलावा पत्र पर दर्शाया गया बिल्कुल वैसा ही नाम) जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/फोटो के साथ बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किए गए फोटो पहचान प्रमाण के साथ फोटो/किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी फोटोग्राफ के साथ फोटो पहचान प्रमाण/किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान-पत्र/आधार कार्ड/फोटो लगा ई-आधार कार्ड, वैध हालिया पहचान पत्र/एक फोटो के साथ/कर्मचारी आइडी/बार

काउंसिल का फोटो पहचान पत्र अन्वीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी की पहचान बुलावा पत्र पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और जमा किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेह में है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैध पहचान प्रमाण नहीं हैं।

नोट: अभ्यर्थियों को फोटो पहचान प्रमाण मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा और चरण- I, II और III परीक्षाओं में बुलावा पत्र के साथ फोटो पहचान प्रमाण की एक छायाप्रति जमा करनी होगी। अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि बुलावा पत्र पर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) नाम फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जिन महिला अभ्यर्थियों ने शादी के बाद अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदल लिया है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बुलावा पत्र में दिए गए नाम और फोटो पहचान प्रमाण के बीच कोई मेल नहीं है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना/अपने मूल विवाह प्रमाणपत्र/मूल रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ट) लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए जहां प्रमुख (लेखन) अंग के कार्य के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है (न्यूनतम 40% हानि) प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा सलाह दी गई अनुसार प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, ।

(ठ) परीक्षा के संचालन में कुछ समस्या होने की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है जिससे परीक्षा और/या परिणाम प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की आवाजाही, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। पुन: परीक्षा का संचालन परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के पूर्ण विवेक पर है। अभ्यर्थियों का पुन: परीक्षण के लिए कोई दावा नहीं होगा। परीक्षा की विलंबित प्रक्रिया में शामिल न होने अथवा भाग लेने के अनिच्छुक अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ड) भर्ती से संबंधित सभी मामलों में क.रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में क.रा.बी.निगम द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ढ) यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के अंकों की बराबरी की जाएगी। यदि नोड की क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

(ण) क.रा.बी.निगम सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में क.रा.बी.निगम द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाओं को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो क.रा.बी.निगम के पास संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा।

(त) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन का पता चलने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी क.रा.बी.निगम भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।

(थ) अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया - ऑनलाइन परीक्षा के अंक निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर प्राप्त किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किसी अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तरों के लिए दंड (पैनल्टी) लगाने के बाद सही अंक प्राप्त करने के लिए माना जाता है।

(ii) किसी अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए संशोधित अंकों को समान अंक* प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई के स्तर में मामूली अंतर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए समकक्ष बनाया जाता है।

* किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी फॉर्मों के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फार्म के बराबर किया जाता है।

(iii) परीक्षावार स्कोर और कुल स्कोर दो अंकों तक दशमलव बिंदु के साथ सूचित किया जाता है।

नोट : कट-ऑफ दो चरणों में लागू हैं :

(i) प्रत्येक परीक्षा के अंकों पर

(ii) कुल अंकों पर

9. किसी स्क्राइब का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों के लिए दिशानिर्देश

स्क्राइब की सुविधा केवल नेत्रहीनता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाएगी,यदि व्यक्ति ऐसा चाहता है। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के लिए, इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। यह संलग्नक-छ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा होना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में जहां किसी स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(i) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 34-02/2015-डीडी-III, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के अनुसार – बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश विषय पर, स्क्राइब के लिए पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के स्क्राइब को चुनने या परीक्षा निकाय से इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार है।

(ii) यदि अभ्यर्थी ने अपना स्क्राइब लाने का विकल्प चुना है, तो स्क्राइब की अर्हता पद के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंड से एक चरण नीचे होनी चाहिए।

(iii) यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की अर्हता पद के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंड से एक चरण नीचे नहीं है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(iv) तदनुसार, दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्क्राइब के लिए पात्र हैं, संबंधित क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय से स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। परीक्षा आयोजित करने के समय संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों का संपर्क विवरण क.रा.बी.निगम वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(v) उपर्युक्त परीक्षा में अपने स्वयं के स्क्राइब का उपयोग करने वाले पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन 'स्क्राइब घोषणा प्रपत्र' जमा करना आवश्यक है।

(vi) स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। हालांकि, दिव्यांग अभ्यर्थियों को नेत्रहीनता, लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की दिव्यांगता के अलावा, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सहायता प्राप्त करने के लिए संलग्नक-छ में दिए अनुसार परीक्षा के समय आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर अपने स्वयं के स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी या वे क.रा.बी.निगम द्वारा स्क्राइब प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में अनुरोध कर सकते हैं।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित स्क्राइब उसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपर्युक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे अनिवार्य रूप से सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए। बाद के किसी भी अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।

(ix) एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में काम करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब नहीं हो सकता।

(x) अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता है कि स्क्राइब ऊपर वर्णित किसी स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के बावजूद, आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(xi) स्क्राइब को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार का पालन करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(xii) केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसी रियायतों की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो कम से कम 40% दिव्यांगता से ग्रस्त हैं) परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी हर घंटे के लिए 20 मिनट के या अन्यथा परामर्श अनुसार प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

10. अभ्यर्थियों को अन्य अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज के प्रिंटआउट को डाक या दस्ती रूप से क.रा.बी.निगम को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट की प्रति अपने पास रखनी चाहिए और मांगे जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
(ख)	क.रा.बी.निगम लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक अर्हता, आयु आदि की आवश्यकताओं को देखें और स्वयं को संतुष्ट करें कि वे पद के लिए पात्र हैं। जब जांच की जाती है, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और क.रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम होगा।
(ग)	आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस में निहित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और ये क.रा.बी.निगम की वेबसाइट (***https://www.esic.nic.in)*** पर भी उपलब्ध हैं।
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। उन्हें अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र रखने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 15.11.93 के तहत निर्धारित संलग्नक-"क" में दिए अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसके साथ संलग्नक-"ख" में दिए अनुसार स्व-घोषणा बाद के चरण में दी जानी है,जिसमें विफल होने पर आरक्षण का लाभ या आयु में छूट नहीं दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संलग्नक - "ग" में दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के अंतर्गत छूट/आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संलग्नक - "घ" में दिए गए अनुसार वचनबंध का प्रपत्र जमा करना चाहिए।
(ङ)	आयु में छूट का दावा करने वाले क.रा.बी.निगम कर्मचारियों/सरकारी कर्मचारियों को निरंतर सेवा की अवधि के संबंध में अपने कार्यालय से 'ङ' में संलग्न निर्धारित फार्म में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि से पहले की तात्कालिक अवधि में तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उनके चयन की स्थिति में नियुक्ति के समय तक उनके पास क.रा.बी.निगम कर्मचारी/सरकारी कर्मचारी का दर्जा बना रहना चाहिए।
(च)	वे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में सरकार के अंतर्गत असैनिक पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए हकदार नहीं हैं । हालांकि, वे केवल आयु में छूट के पात्र हैं । सशस्त्र बलों में किसी भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में तभी माना जाएगा, जब उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन जमा करने के संगत समय पर, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति पहले ही हासिल कर ली हो और/या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता हकदारी स्थापित करने की स्थिति में हो कि वह सशस्त्र बलों में कार्य की निर्दिष्ट अवधि की समापन अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या कार्यमुक्ति के बिना पूरा करेगा। सेवारत रक्षा कार्मिकों को 'च' में संलग्न प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
(छ)	अंतिम तिथि : क.रा.बी.निगम वेबसाइट www.esic.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12.04.2022 है।

(ज)	इस पद की पात्रता के संबंध में आयु सीमा,अनिवार्य योग्यता और अन्य मानदंड निर्धारित करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 12.04.2022 होगी।
(झ)	पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व वहन करता है और पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
(ञ)	पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। उसे परिवीक्षा पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवश्यक परिवीक्षा निकासी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और यदि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षा निकासी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो निगम में उसकी सेवाएं समाप्त किये जाने योग्य होंगे।
(ट)	परीक्षा केंद्रों के परिसर में मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और वायरलेस उपकरण प्रतिबंधित हैं। इन्हें चालू या बंद अवस्था में अपने पास रखना क.रा.बी.निगम द्वारा एक जोड़-तोड़ अभ्यास के रूप में माना जाता है और यह सरसरी तौर पर अभ्यर्थिता रद्द करने,क.रा.बी.निगम की परीक्षाओं में बैठने से रोकने और/या आपराधिक अभियोजन के लिए आमंत्रित करेगा।

11. कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ या गढ़ा हुआ विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। परीक्षा के समय, साक्षात्कार के समय या बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) -

(i) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना या

(iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा (परीक्षाओं) की सामग्री या किसी भी जानकारी को पूर्णतः या अंशतः किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या यंत्रवत् किसी भी उद्देश्य के लिए को प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, संचारित करना, भंडारण करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना या

(iv) अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या

(v) अनुचित तरीकों से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

(vi) परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या संचार के इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने पर, ऐसा अभ्यर्थी खुद को आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, उत्तरदायी हो सकता/सकती है:

(क) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना, जिसके लिए वह एक अभ्यर्थी है

(ख) क.रा.बी.निगम द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से या तो स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाएगा

(ग) सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही क.रा.बी.निगम में शामिल हो चुका है।

(vii) जाली दस्तावेज या वे दस्तावेज जमा करना, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है,।

(viii) ऐसे बयान देना जो गलत या झूठ हों या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाते हो।

(ix) परीक्षा के संचालन के लिए क.रा.बी.निगम द्वारा नियोजित कर्मचारियों को डराना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना।

(x) सूचना में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करने पर परीक्षा के लिए अपात्र होना।

(xi) भर्ती के किसी भी चरण में किसी अन्य आधार पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, जिसे क.रा.बी.निगम अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण मानता है।

12. क.रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम

पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए जुर्माना, चयन का तरीका, परीक्षाओं का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयनित अभ्यर्थियों के चयन और तैनाती से संबंधित सभी मामलों में क.रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम होगा। और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. <u>निरर्हता</u>

कोई व्यक्ति,

क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका विवाहिती जीवित है या

ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुबंधित किया हो उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी ।

बशर्ते कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इन विनियमों के संचालन से छूट दें।

14. <u>अंतिम तिथि</u>

क.रा.बी.निगम की वेबसाइट **www.esic.nic.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन **12.3.2022** से **12.04.2022** तक किये जा सकते है।

विस्तृत भर्ती विज्ञापन के अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण में किसी भी बिंदु, अनुदेश एवं विषय वस्तु पर विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

दिनांक : 11.03.2022

<u>उप निदेशक (परीक्षा)</u>

संलग्नक 'क'

भारत सरकार के अंतर्गत पद पर नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री..,ग्राम/नगर ...., जिला/मंडल............................, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... का/की निवासी है जो .... समुदाय से सम्बद्ध है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या .... दिनांक ....* के अंतर्गत एक पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... और/या उसका परिवार साधारणत: ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/मंडल में निवास करता है/करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) दिनांक 14.10.2008 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) दिनांक 27.05.2013 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों [नवोन्नत वर्ग (क्रीमीलेयर)] से संबद्ध नहीं हैं।

दिनांक:	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त आदि
कार्यालय की मुहर	
*_	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है।
**_	समय-समय पर यथासंशोधित।
नोट:	यहां 'साधारणत: निवास करता/करते हैं शब्द का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:	
i.	जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप कलक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।
ii.	मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
iii.	राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर (रैंक) से नीचे न हो।
iv.	क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

नोट-**I** क. यहां 'साधारणत: शब्द का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची नीचे दी गई है:-

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /उप कलक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट /

अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट स्तर (रैंक) से नीचे न हो)।

ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर (रैंक) से नीचे न हो।

iv. क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार रहता है।

नोट -**II** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति की गणना की तारीख माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि अभ्यर्थी नवोन्नत वर्ग में नहीं आता है।

नोट -**III** अभ्यर्थी को इस नोटिस में निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त संलग्नक 'क' के अनुसार केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए निर्धारित फॉर्मेट में सुसंगत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

संलग्नक 'ख'

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का फार्म
(समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं..सुपुत्र/सुपुत्री श्री.. निवासी ग्राम/कस्बा/शहर...जिला............................राज्य...................................
..एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं...समुदाय से संबद्ध हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36102/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर संदर्भित दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) दिनांक 14.10.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) दिनांक 27.05.2013 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्ग/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) से संबद्ध नहीं हूँ।

हस्ताक्षर................................

पूरा नाम................................

पता.....................................

संलग्नक 'ग'

...........................सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय व परिसंपत्ति संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या... तारीख......................

वर्ष.........................के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...................................ग्राम/गली...................................डाकघर..................................जिला................... ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...पिन कोड...................................के स्थायी निवासी हैं और जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबद्ध हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष...........................में इनकी/इनके परिवार** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है। वह/इनका परिवार निम्नलिखित परिसंपत्तियों*** में से किसी पर स्वामित्व नहीं रखता या धारण नहीं करता:

i. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फुट और इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं से अलग क्षेत्रों में 200वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी....................................का संबंध उस जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

हस्ताक्षर कार्यालय की मुहर सहित..

नाम...

पदनाम...

---

*नोट 1: आय में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि शामिल हैं।
**नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति सहित उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके विवाहिती और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।
***नोट 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय 'परिवार' द्वारा विभिन्न अवस्थितियों अथवा विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

संलग्नक 'घ'

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले वचनबंध का फार्म

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन हो जाता है मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि मैं सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और कि मैं समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि मैं ऐसी नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों में आरक्षण की छूट लेकर सिविल क्षेत्र में कोई रोजगार (सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) पाता हूँ तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं रहूँगा/रहूँगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता/करती हूँ:

क) सशस्त्र बल में नियुक्ति की तारीख...

ख) कार्यमुक्ति की तारीख..

ग) सशस्त्र बल में सेवा की अवधि...

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर...

स्थान:

तारीख:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

संलग्नक 'ङ़'

आयु में छूट के लिए क.रा.बी. निगम कर्मचारी/सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

(जिस कार्यालय/विभाग में अभ्यर्थी कार्यरत है उसके कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कु. ________________________________ **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** को ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतनमान.............................में .... के पद पर पदासीन हैं।

हस्ताक्षर_________________________

नाम_____________________________

कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक:

(*कृपया उन शब्दों को हटाएँ जो लागू नहीं हैं*)

संलग्नक 'च'

सेवारत रक्षा कार्मिक के लिए प्रमाणपत्र का फार्म

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचनानुसार (सं.)____________________(रैंक)__________________________(नाम)________________________(दिनांक)______________ को सशस्त्र बल में नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि को पूरा करेंगे।

स्थान:

(कमान अफसर के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

संलग्नक 'छ'

<u>परीक्षार्थी के लेखन कार्य में शारीरिक बाध्यता से संबंधित प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती____________________________(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम)

सुपुत्र/सुपुत्री___________________________निवासी________________________(गाँव/जिला/राज्य)

_______________(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में किए गए उल्लेख अनुसार दिव्यांगता की प्रकृति तथा प्रतिशतता) से ग्रस्त व्यक्ति का परीक्षण किया हैं तथा मुझे यह कहना है कि इनकी शारीरिक बाध्यता है जिसके कारण इनकी लेखन क्षमतायें बाधित होती है।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था

नाम तथा पदनाम:______________________

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम,मुहर सहित_________________________

स्थान:

दिनांक:

नोट:

यह प्रमाणपत्र संगत विषय/दिव्यांगता के विशेषज्ञ (जैसे दृष्टि बाध्यता-ऑपथालमोलोजिस्ट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी-प्रथोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर) द्वारा दिया जाए।